कलेक्टर कार्यालय जिला - धार
शाखा
9 APR 1998
आर./डी. और/ अ. शा.
स्म. पत्र/ समयावधि/धार/ अधीक्षक

।।श्री।।

न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर (मध्य-प्रदेश)

कमलसिंह पिता रतनसिंह जाति राजपूत
निवासी ग्राम कलसाड़ा बुर्जुग तहसील
धार जिला धार (म०प्र०) ------- प्रार्थी

बनाम

१- तेजुबाई पिता रामसिंह बेवा भेरुसिंह
ग्राम सनावदा तहसील बदनावर

२- मुन्नीबाई पिता रामसिंह पति चंदरसिंह
निवासी ग्राम कराड़िया तहसील बदनावर

३- उमरावबाई बेवा रामसिंह निवासी ग्राम
कलसाड़ा तहसील धार ---- विपक्षीगण

रिव्हीजन धारा ५० म०प्र०भू०रा०सं०

मान्यवर महोदय,

ग्राम कलसाड़ा तहसील धार की कृषि भूमि पर मृत खातेदार रामसिंग पिता केसरसिंग की मृत्यु पर नामान्तरण पंजी क्र० १५ व्दारा प्रार्थी कमलसिंग का नामान्तरण स्वीकार किया उसके बावजूद विपक्षीगण ने नामान्तरण हेतु तहसील में आपत्ति प्रस्तुत की जो तहसीलदार महोदय ने दिनांक २५-३-९४ को निरस्त की जिसके विरुद्ध विपक्षीगण ने न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, धार के न्यायालय में प्रथम अपील क्र० ३६।९३-९४ की प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक १७-४-९६ व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, धार ने निरस्त की । उक्त अपील से दुखित होकर विपक्षीगण ने न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, इंदौर संभाग इन्दौर के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण क्रमांक ३५७।९५-९६ पर दर्ज होकर न्यायालय अपर आयुक्त महोदय ने अपने आदेश दिनांक २७-२-९७ व्दारा विपक्षीगण की अपील स्वीकार की जिससे दुखित होकर प्रार्थी की ओर से नकल के दिन मुजरा जाते यह निगरानी आवेदन

17.11.2015

आवेदक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। दिनांक 15.4.2009 को आवेदक की ओर से श्री पी० जी० पाठक अभिभावक उपस्थित हुये हैं. उसके उपरांत आज दिनांक तक लगभग 6 वर्ष का समय व्यतीत होने के उपरांत आवेदक की ओर से न तो कोई उपस्थित हुआ है, और न ही प्रकरण की आगामी कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी लेने का प्रयास किया गया है। अतः आवेदक के प्रकरण के निराकरण में रूचि नहीं लेने के कारण समाप्त किया जाता है।

अध्यक्ष

[कृ. प. उ.